

प्रेस-विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु पांच वर्षीय पट्टा आवंटन शिाविर का आयोजन उ0प्र0 राजस्व सहिता 2006 यथा संशोधित अध्यादेशा 2015 की धारा 61 के क्रम में पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील बुलन्दशहर में नीलाम अधिकारी नायब तहसीलदार नगर बुलन्दशहर द्वारा अपने न्यायालय कक्ष संख्या 4 में दिनांक 27.04.2016 को प्रातः 10 बजे से किया जायेगा। मत्स्य पालन पट्टा हेतु प्रार्थना-पत्र इच्छुक व्यक्तियों से प्रातः 10:00 से अपराहन 2 बजे तक लिये जायेंगे। अपराहन 2 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा अपराहन 2 बजे के बाद समान वरीयता समूह में नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। नीलामी हेतु न्यूनतम बोली 2000/- रुपये प्रति एकड/5000 रु प्रति है0 प्रति वर्ष होगी। उपस्थित व्यक्तियों में से समान वरीयता समूह में सर्वाधिक बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। सर्वाधिक बोली दाता को नीलामी के उपरान्त 5 वर्षीय लगान का 1/4 भाग अर्थात बोली का 125 प्रतिशत जमा कराना होगा।

ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(हे0 में)
1	गंगेरूआ	222 341 452 476	0.444 0.531 0.481 0.999
2	जौठ	43	2.146
3	मिल्क मकनपुर	152 240क	0.875 0.481
4	सैंटा	415 375	0.455 0.455
5	खनौदा	294	0.340
6	हरचना	20स	0.552
7	सोहनपुर	21	1.012
8	दरियापुर	169 325 391	0.341 0.519 0.771
9	शाहनगर	105स	0.341

तहसीलदार, सदर
बुलन्दशहर

पत्रांक: 337(10) र0क0/मत्स्य पट्टा/2015-16

दिनांक:- 12.4.16

प्रतिलिपि:-

1-जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2-उप जिलाधिकारी, सदर बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

3-तहसीलदार, सिकन्द्राबाद, /खुर्जा/स्याना/डिबाई/अनूपशाहर/शािकारपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

4-सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5-जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि कृप्या नेट पर डालने का कष्ट करें।

6-अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशात कराने हेतु प्रेशित।

7-संपादक अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान, पंजाब केसरी को समाचार पत्रों निःशुल्क प्रकाशात हेतु।

8-नायब नाजिर बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

9-राजस्व निरीक्षक बरन/अगौता/औरंगाबाद को इस निर्देशा के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रामों के लेखपालों व इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा शिाविर व तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु।

10-नायब तहसीलदार नगर बुलन्दशहर/नीलाम अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11-सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार, सदर
बुलन्दशहर